राष्ट्रीय दल

≡ Business Standard

AAP becoming national party thanks to people of Gujarat: Manish Sisodia

Press Trust of India | New Delhi | Last Updated at December 08 2022 23:49 IST

Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia on Thursday said the Aam Aadmi Party is on course to become a national party thanks to the votes given by the people of Gujarat

1885	1925	1964	1980	1984	1998	1999	2013
INC	CPI	CPI (M)	BJP	BSP	AITC	NCP	NPP
Indian National Congress	Communist Party of India	Communist Party of India (Marxist)	Bhartiya Janta Party	Bahujan Samaj Party	All India Trinamool Congress	Nationalist Congress Party	National People's Party

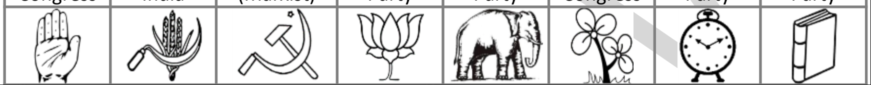

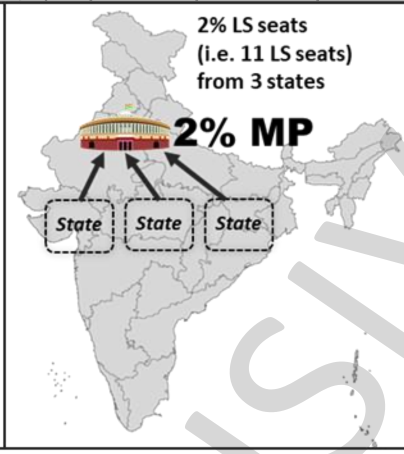

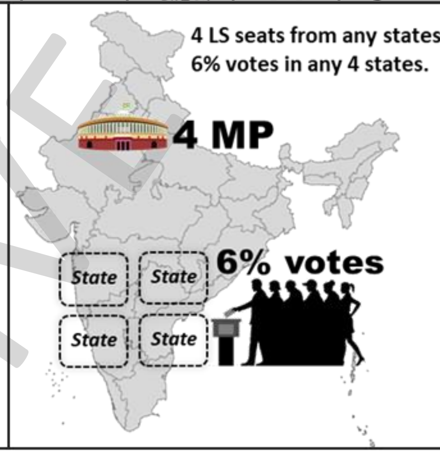

राष्ट्रीय दल (National Party) (Criteria)

1. 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो **या**
2. लोकसभा में 2% सीटें (यानी 11 सीटें) जीती हो; और ये सीटें 3 राज्यों से हो **या**
3. लोकसभा या विधानसभा चुनावों में 4 (या 4 से अधिक) राज्यों से कुल वैध वोटों के 6% वोट मिले हो तथा इसके अतिरिक्त कही से भी 4 लोकसभा सीटे मिली हो ।

राज्य स्तरीय दल (State Party) (Criteria) (Prelims के लिए महत्वपूर्ण नहीं)

(लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन, राज्य स्तर पर देखा जाता है, ना की राष्ट्रीय स्तर पर)

- 8% वोट (लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में) **या**
- 6% वोट और 1 सांसद (लोकसभा चुनाव में) **या**
- 6% वोट और 2 विधायक (विधानसभा चुनाव में) **या**
- 3% विधायक या 3 विधायक, जो भी अधिक हो (विधानसभा चुनाव में) **या**
- राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों पर 1 सांसद (लोकसभा चुनाव में)

राज्य स्तरीय दल को "**क्षेत्रीय दल**" भी कहा जाता है । **राष्ट्रीय दल** को "**अखिल भारतीय दल**" भी कहा जाता है ।

राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिलने के फायदे

- नामांकन दाखिल करने के लिए केवल **एक प्रस्तावक** (proposer) की ही जरुरत होती है
- **आरक्षित चुनाव चिन्ह**
  - राज्य स्तरीय दल के लिए (उन्ही राज्यों में, जिन राज्यों में मान्यता प्राप्त है)
  - राष्ट्रीय दल के लिए (पूरे भारत में)
- **फ्री मतदाता सूची** - पार्टी के लिए दो सेट और प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक-एक सेट
- आम चुनाव (General Election) के दौरान **40 'स्टार प्रचारक'** की अनुमति (स्टार प्रचारक के लिए class-4 pg-31 देखें)
- चुनाव के दौरान राष्ट्रीय स्तरीय और राज्य स्तरीय **टीवी / रेडियो** (दूरदर्शन / आकाशवाणी) पर टाइम स्लॉट मिलता है
- सरकार द्वारा दिल्ली में पार्टी कार्यालय के लिए **भूमि/भवन** (कुछ शर्तों के अधीन)

मान्यता-समाप्ति/ रद्द (De-Recognition)

- ❑ **राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय दल,** दोनों को बाद में होने वाले सभी लोकसभा या राज्य चुनावों के लिए शर्तों को पूरा करना होगा। अन्यथा, उनकी मान्यता (Recognition) रद्द हो जाएगी ।
- ❑ समय पर व्यय-विवरण (Expenditure Statement) नहीं देने, आचार संहिता का उल्लंघन करने, आदि के लिए निर्वाचन आयोग (Election Commission) किसी भी पार्टी की मान्यता रद्द कर सकता है।
- ❑ निर्वाचन आयोग ने समय पर व्यय-विवरण नहीं देने के लिए 2015 में (एक संक्षिप्त अवधि 15 जून-30 जून के लिए) **NPP** की मान्यता रद्द करी थी ।

ALL INCLUSIVE IAS

Registration vs Recognition

मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा।

हमने एक पार्टी बनाई है। हम इसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं।

हमारी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कृपया इसे राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दें।

हमारी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कृपया इसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दें।

पंजीकरण (Registration) **RPA-1951 section 29A** के अनुसार होता है।
इसके लिए आवेदन, पार्टी बनने के 30 दिनों के भीतर करना होता है ।

मान्यता (Recognition) चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश-**1968** के अनुसार मिलती है
Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, **1968**

https://pib.gov.in/newsite/printrelease.aspx?relid=104537

- कोई भी भारतीय नागरिक जो 25 वर्ष से अधिक आयु का है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है, बिना पार्टी बनाए भी चुनाव लड़ सकता है । (स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए आयु - 21 वर्ष)
- कोई भी एसोसिएशन, निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत हुए बिना भी चुनाव लड़ सकती है । लेकिन इस स्थिति में उनकी पहचान राजनीतिक दल के रूप में नहीं होगी, और इसलिए उन्हें RPA-1951 के तहत लाभ भी नहीं मिलेगा ।

राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के फायदे

- किसी भी व्यक्ति या कंपनी (सरकारी कंपनी के अलावा) से स्वैच्छिक योगदान/चंदा ले सकते है
- 100% आयकर छूट (लेकिन वार्षिक आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा)
- चुनाव चिह्नों के आवंटन में वरीयता (preference) मिलती है
- अधिकतम 20 'स्टार प्रचारकों' को नॉमिनेट कर सकते हैं

पंजीकरण-समाप्ति (रद्द) De-registration

- RPA 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान है? **हाँ**
- RPA 1951 में राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान है? **नहीं**

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ स्थितियों में निर्वाचन आयोग, किसी राजनीतिक पार्टी के पंजीकरण के अपने आदेश की समीक्षा कर सकता है -

1. यदि पार्टी ने धोखाधड़ी से पंजीकरण किया हो
2. यदि केंद्र सरकार द्वारा पार्टी को गैरकानूनी घोषित किया गया हो
   - UAPA-1967 या किसी अन्य समान कानून के तहत
3. यदि 29A(5) के तहत पंजीकरण का आधार समाप्त हो गया हो । उदाहरण
   - कोई पार्टी कहे कि उसने भारतीय संविधान या समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति विश्वास और निष्ठा खो दी है, या वह भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को कायम नहीं रखेगी

https://www.legalserviceindia.com/legal/article-4767-does-election-commission-possess-the-power-to-de-register-a-political-party-.html
https://blog.ipleaders.in/analyzing-the-power-of-the-election-commission-to-de-register-a-political-party/

Prelims 2017 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. भारत का निर्वाचन आयोग पांच सदस्यीय निकाय है।
2. केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है ।
3. चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवाद निपटाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3 **(d) केवल 3**

Prelims 2017 लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र
(a) भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है
(b) जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है, वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है
(c) भारत के किसी नागरिक द्वारा, जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता-सूची में है, दाखिल किया जा सकता है
(d) भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है

ALL INCLUSIVE IAS

यदि confusion हो, तो कम से कम यह याद रखना -

EC (निर्वाचन आयोग) :

- राजनीतिक दल को पंजीकृत कर सकता है? **हाँ**
- राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द कर सकता है? **नहीं**
- पंजीकृत राजनीतिक दल को मान्यता दे सकता है? **हाँ**
- पंजीकृत राजनीतिक दल की मान्यता रद्द कर सकता है? **हाँ**

	पहला चुनाव (1952)	17 वां चुनाव (2019)
राष्ट्रीय दल	**14**	7
राज्य स्तरीय दल	39	52

वर्तमान में, लगभग 2-3 हजार पंजीकृत राजनीतिक दल हैं जो गैर-मान्यता प्राप्त है

Election Symbols

चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अनुसार

→ 'आरक्षित चुनाव चिन्ह' मान्यता प्राप्त पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए हैं

→ 'मुक्त चुनाव चिन्ह' अन्य (स्वतंत्र, अपंजीकृत एसोसिएशन, पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी) उम्मीदवारों के लिए हैं

किसी पार्टी के भीतर विवाद के मामले में, चुनाव आयोग तय करता है कि कौन से गुट को उस पार्टी का चुनाव चिह्न मिलेगा

→ चुनाव आयोग का फैसला बाध्यकारी है? **हाँ** (अन्यथा निर्णय देने का क्या फायदा)

→ चुनाव आयोग के फैसले को SC में चुनौती दी जा सकती है? **हाँ** (क्योंकि न्यायिक समीक्षा (judicial review) संविधान के मूल संरचना **(Basic Structure)** का हिस्सा है)

Voters

चुनाव में मतदान करना, एक मूल कर्तव्य है? **नहीं**

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

Election Commission allows 17-year-olds to register in advance for voters' list enrolment

New Delhi | Updated: July 29, 2022 01:47 IST
NewsGuard

17 वर्ष के किशोर, मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए अग्रिम रूप (Advance) से आवेदन कर सकते हैं।

मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए, व्यक्ति की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए

- पहले उम्र की गिनती 1 जनवरी के हिसाब से होती थी
- अब यह 1 जनवरी/1 अप्रैल/1 जुलाई/1 अक्टूबर के हिसाब से होती है

अब हर तिमाही में मतदाता सूची अपडेट की जाती है

61वें संविधान (संशोधन) अधिनियम 1988 द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी

Remote EVM

Election Commission

ECI ready to pilot remote voting for domestic migrants; migrant voter need not travel back to home state to vote

Prototype RVM can handle multiple constituencies from a single remote polling booth

Posted On: 29 DEC 2022 1:32PM by PIB Delhi

ईवीएम (EVM)

ईवीएम के लिए class-6 pg-62 देखें

रिमोट ईवीएम (R-EVM)

विकसित की जा रही है/टेस्टिंग चल रही है

रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (R-EVM)

- यह डिजिटल बोर्ड का उपयोग करती है (जबकि, EVM प्रिंटेड लिस्ट का उपयोग करती है)
- आंतरिक प्रवासियों दूसरे राज्य से भी मतदान कर पाएंगे
- अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता एक ही R-EVM पर मतदान कर पाएंगे
- रिमोट वोटिंग की अनुमति देने के लिए **RPA-1950/1951** में संशोधन करना होगा
- EVM की तरह यह एक स्टैंडअलोन मशीन है, जो इंटरनेट से नहीं जुड़ी है
- 2019 आम चुनावों में मतदान 67.4% था। मतदान कम होने का एक कारण आंतरिक प्रवासन **migration** भी है

क्या आंतरिक प्रवासी प्रॉक्सी वोटिंग या पोस्टल बैलट (डाक मतपत्र) से मतदान कर सकते हैं? नहीं (class-4 pg-35 देखें)

Miscellaneous

EPIC (Voter ID) - **E**lectoral **P**hoto **I**dentity **C**ard

PPRTMS - Political Parties Registration Tracking Management System (राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली)

- 2020 में चुनाव आयोग ने शुरू किया
- पार्टियां पंजीकरण करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं और आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं

राष्ट्रीय मतदाता दिवस

- ✓ 25 जनवरी, 2011 से
- ✓ ECI का गठन 25-01-1950 को हुआ था

चुनाव सम्बन्धी विवाद

राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति का चुनाव - सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद-71 के अनुसार)

सांसद/विधायक का चुनाव - हाई कोर्ट (RPA-1951 के अनुसार)

cVIGIL मोबाइल ऐप

- EC द्वारा लॉन्च
- MCC उल्लंघन की शिकायत करने हेतु

SVEEP (EC द्वारा)

सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम

एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज (AAEA)

- स्थापना-1998 , सचिवालय- मनीला (फिलीपींस)
- भारत संस्थापक सदस्यों में से एक है
- भारत को 2022-24 के लिए अध्यक्ष चुना गया है
- यह A-WEB का सहयोगी सदस्य है

एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (A-WEB)

- स्थापना- 1993, सचिवालय- इंचियोन (दक्षिण कोरिया)
- भारत संस्थापक सदस्यों में से एक है

सुगम चुनाव के लिये राष्ट्रीय सलाहकार समिति (EC द्वारा)
दिव्यांग व्यक्तियों की चुनाव में भागीदारी बढ़ाने के लिए

Some PYQs

Prelims 1993

1979 में किस राज्य में Anti-Defection Law (दल-बदल विरोधी कानून) था ?

(a) केरल (b) जम्मू और कश्मीर
(c) पश्चिम बंगाल (d) तमिलनाडु

Explanation

कुछ वेबसाइट्स जम्मू-कश्मीर को उत्तर मानती हैं।
लेकिन निम्न लिंक के अनुसार, पश्चिम बंगाल सही है।
https://indiankanoon.org/doc/96779464/

UPPCS (मेन्स) 2010

राजनीतिक दलों को पहली बार किस वर्ष में संवैधानिक मान्यता मिली थी ?

(A) 1975 (B) 1977 **(C) 1985** (D) 1995

Explanation

52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1985

Prelims 2012

निम्नलिखित मे से किन दलों की स्थापना डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने की थी?

1. पीजेंट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया
2. ऑल इंडिया सिडयूल्ड कास्ट्स फेडरेशन
3. इंडिपेन्डेंट लेबर पार्टी

सही उत्तर का चयन करें

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 2 और 3**
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Explanation

भीमराव रामजी आम्बेडकर (14-04-1891 से 06-12-1956)

- **1920** - साप्ताहिक समाचार पत्र ' मूकनायक '
- **1924** - बहिष्कृत हितकारिणी सभा (बंबई में)
- **1930** - डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन
- **1936** - इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी
- **1936** - Annihilation of Caste (भाषण जो वह दे न सके)
- **1942** - 'इंडिपेन्डेंट लेबर पार्टी' को 'सिडयूल्ड कास्ट्स फेडरेशन' में बदल दिया गया
- **1957** - सिडयूल्ड कास्ट्स फेडरेशन 'रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया' के रूप में विकसित हुआ

Prelims 1999

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम 1996 [Representation of People (Amendment) Act 1996] द्वारा चुनाव कानूनों में किये गए संशोधनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें.

1. यदि कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान के अपमान के अपराध में दोषी साबित होता है तो वह दोष-सिद्धि (Conviction) की तारीख से छह साल के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा।
2. लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) को बढ़ाया गया
3. एक उम्मीदवार अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है
4. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर चुनाव रद्द नहीं किया जाएगा

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं

(a) 2 और 3 **(b) 1, 2 और 4** (c) 1 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

Prelims 2021:

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में तीन निर्वाचन-क्षेत्रों से लड़ने से रोके
2. 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवी लाल ने तीन लोकसभा निर्वाचन-क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था
3. वर्तमान नियमों के अनुसार, यदि कोई प्रत्याशी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़े, और सभी निर्वाचन-क्षेत्रो में जीत जाए, तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनावों का खर्चा उठाना होगा, जिन्हे उसने खाली किया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 3 (d) 2 और 3

(1) और (3) गलत हैं। (2) इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के अनुसार सही है।
(2) चुनाव आयोग के अनुसार गलत है https://eci.gov.in/files/file/4121-general-election-1991-vol-i-ii/
UPSC ने इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल को सही मानते हुए प्रश्न बनाया था।
बाद में, UPSC ko चुनाव आयोग के document से पता चला की इंडियन एक्सप्रेस ने गलती की है।
चूंकि तीनों कथन गलत हैं, इसलिए UPSC ने Official Answer Key से इस प्रश्न को drop कर दिया।

ALL INCLUSIVE IAS

Prelims 1995

नीचे दी गई तालिका पर विचार करें जिसमे दिसंबर 1994 में संपन्न कर्नाटक विधानसभा-चुनाव के परिणामों के कुछ विवरण दिए गए है ।

Political Party	% of popular votes obtained	Number of seats secured
Janta Dal	36%	116
Congress	31%	35
BJP	20.4%	40

उपरोक्त तालिका में, चुनावी विश्लेषण के संदर्भ में, वोटर-सीट के विरूपण को किस मतदान प्रणाली के स्वीकृण के रूप में समझा जा सकता है?

(a) हेयर प्रणाली
(b) संभूत मतदान प्रणाली (क्यूमूलेटिव वोटिंग सिस्टम)
(c) साधारण बहुमत प्रणाली (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम)
(d) बहुल मतदान प्रणाली (प्लुरल वोटिंग सिस्टम)

Explanation

FPTP प्रणाली

बहुमत सीटों पर निर्भर करता है, ना कि वोटों पर।

- **FPTP प्रणाली** : लोकसभा, विधानसभा
- **PR प्रणाली** : राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति

Prelims 1994

नीचे दी गयी तालिका में, लोकसभा के लगातार तीन चुनावों में एक राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त किये गए वोट प्रतिशत दिए गए है।

Year	1984	1989	1991
% of votes	7.4%	11.4%	22.4%

उपर्युक्त वोट % प्राप्त करने वाली पार्टी थी:-

(a) कांग्रेस
(b) बहुजन समाज पार्टी
(c) भारतीय जनता पार्टी
(d) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)

Explanation

राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण, बीजेपी की सीटें 2 (1984 में) से बढ़कर 161 (1996 में) हो गईं, जिससे 1996 में यह लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई।

1984- **002** , 1989- **085** , 1991- **120** , 1996- **161**

1996 के लोकसभा परिणाम -

Party	Votes	Seats
Congress	28.8%	140
BJP	20.3%	161

FPTP : Problem #1

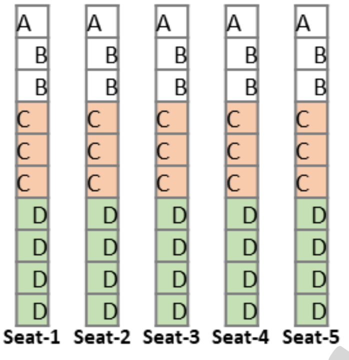

Party	Votes	Seats
A	10%	0
B	20%	0
C	30%	0
D	40%	5

60% लोग 'D' के खिलाफ हैं, फिर भी उसे सभी सीटें मिल गई
30% 'C' चाहते हैं, फिर भी उसे कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला

FPTP : Problem #2

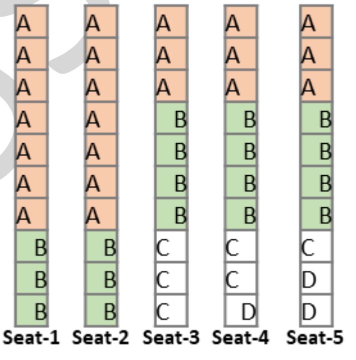

Party	Votes	Seats
A	46%	2 (40% seats)
B	36%	3 (60% seats)
C	12%	0
D	06%	0

64% लोग 'B' के खिलाफ हैं, फिर भी इसने सरकार बनाई
सबसे ज्यादा वोट वाली पार्टी विपक्ष में बैठी है

अगर NOTA को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए तो क्या होगा ?

कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार ही जीता हुआ माना जाएगा ।

Prelims 1994

अभिकथन (A) भारत में, जिन राजनीतिक दलों ने सरकारों का गठन किया, वे केंद्र में लोकसभा और राज्यों में विधानसभाओं के चुनावों में **अधिकांश सीटों** का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन **अधिकांश वोटों** का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे।

कारण (R) **साधारण बहुमत प्रणाली** के आधार पर, चुनाव का परिणाम, प्राप्त वोटों के सापेक्ष बहुमत के आधार पर तय किया जाता है ।

उत्तर - (a) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

Explanation

विधायिका में बहुमत सीटों पर निर्भर करता है, ना कि वोटों पर।

ALL INCLUSIVE IAS